प्रेषक,

डा0यू0पी0 सिंह,
निदेशक (प्रशासन एवं विकास)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 2384 **/सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21** **दिनांकः** 17 **नवम्बर, 2020**

विषयः प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु स्थापित गो–आश्रय स्थलों के निरीक्षण एवं पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा एवं भौतिक सत्यापन हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों को निर्देश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पशुधन अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1585/सैंतीस–2–2020–5(53)/18टी.सी. –2 दिनांक 25 जुलाई, 2020 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक 1841/सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा जनपदवार नामित विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा जनपद में प्रवास/भ्रमण किया गया। नोडल अधिकारियों के जनपद प्रवास/स्थलीय सत्यापन से गौ–आश्रय स्थलों एवं विभागीय कार्यक्रमों के संचालन को और सुदृढ़ किए जाने के दृष्टिगत प्रदेश में स्थापित/संचालित गो आश्रय स्थल/कॉजी हाऊसों/कान्हा उपवन/वृहद गो संरक्षण केन्द्र/पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के संरक्षण, भरण–पोषण तथा गोवंश को शीत ऋतु में ठण्ड से बचाव हेतु जनपद स्तर पर की गयी/की जा रही तैयारियों के स्थलीय सत्यापन के साथ–साथ संरक्षित गोवंश की सुरक्षा, स्वास्थ्य व हरे–चारे की उपलब्धता, केन्द्रों को स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु किए जा रहे कार्य आदि आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करने/आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विभागीय नोडल अधिकारियों का आगामी 15 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा उक्त के साथ ही साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका–मुँहपका रोग की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य, राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हित ग्रामों में कृत्रिम गर्भाधान की प्रगति, बैंको द्वारा पशुपालन कार्य हेतु स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड, गो–आश्रय स्थलों पर मनरेगा से कराए गये कार्य, कुपोषित परिवारों को गो–आश्रय स्थल से दुधारू गाय की सुपुर्दगी, आत्मनिर्भर भारत अभियान, गो–आश्रय स्थलों पर पराली की व्यवस्था आदि कार्यक्रमों के साथ–साथ विभागीय कार्यक्रमों का भी प्रभावी स्थलीय सत्यापन किया जायेगा।

2– अतः सम्यक् विचारोपरान्त प्रत्येक जनपद में संलग्न सूची के अनुसार नोडल अधिकारी नामित करते हुए निम्नानुसार निर्देशित किया जाता हैः–

2.1 जनपदवार नामित नोडल अधिकारी संबन्धित जनपदों में उपस्थित रहकर **शासनादेश संख्या 1585/सैंतीस–2– 2020–5(53)/18टी.सी. –2 दिनांक 25 जुलाई, 2020 के प्रस्तर 3.1 से 3.3** तथा **निदेशालय के पत्रांक 1841 /सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 दिनांक 08 सितम्बर, 2020 के प्रस्तर 2.2** (**गौवंश को शीत ऋतु से बचाव हेतु व्यवस्था**) **में प्रदत्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगें।** इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी कार्यवाही सुनिश्चित करेगें:–

2.2 मुख्य मंत्री सहभागिता योजना एवं पोषण मिशन

(1) मुख्य मंत्री सहभागिता योजना एवं पोषण मिशन अंतर्गत कुपोषित बच्चों के इच्छुक परिवारों/कृषक/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को गो–आश्रय स्थल पर 30 सितम्बर, 2020 तक संरक्षित/टैग्ड गोवंश व दुधारू गाय क्रमशः सुपुर्दगी में दिए जाने की अद्यतन प्रगति का आंकलन एवं कार्यक्रम में तेजी लाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना।

2.3 पशुपालन कार्य हेतु स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष प्रगति/स्थलीय सत्यापन

(1) जनपदवार आवंटित किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति हेतु बैंकवार जमा किये गये आवेदन प्रपत्रों की जानकारी प्राप्त करना।

(2) बैंक द्वारा स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्डवार पशुपालकों द्वारा संचालित कार्यों का स्थलीय सत्यापन (भ्रमण किए गये ग्रामों में)।

(3) बैंक स्तर पर लंबित किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी प्राप्त पर स्वीकृति हेतु आवश्यक अभिलेखों/औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

(4) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद में प्रभावी कार्ययोजना विकसित कराकर पूर्ति सुनिश्चित कराना।

2.4 मनरेगा अंतर्गत कार्य

(1) मनरेगा अंतर्गत निजी पशुपालकों को कैटिल शेड, बकरी शेड, सूकर शेड एवं कुक्कुट बाड़ा के निर्माण का स्थलीय सत्यापन करना।

(3) गो–आश्रय स्थलों में मनरेगा अंतर्गत किए गये कार्यों, सृजित रोजगार की जानकारी तथा अधिकाधिक परियोजनाओं का संचालन कराकर मानव दिवस सृजन में वृद्धि करना।

2.5 राज्य वित्त आयोग अंतर्गत कार्य :

(1) पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 02/2020/1076/33–1–2020–3003/2017 दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर 2 एवं 4 (iv) में प्रदत्त व्यवस्था अंतर्गत गो–आश्रय स्थलों पर लगाए गये श्रमिकों के पारिश्रमिक के भुगतान की जानकारी प्राप्त करना तथा रात्रि में गोवंश की सुरक्षा हेतु रात्रि प्रहरी की तैनाती का भी संज्ञान लेते हुए गोवंश की रात्रि में संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(2) पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 02/2020/1076/33–1–2020–3003/2017 दिनांक 02 जून, 2020 के प्रस्तर 2 एवं 4 (ii) एवं कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 45/2020/1957/12–2–2020–14/2016टीसी दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के प्रस्तर 2 अनुसार पराली को खेतों से गो–आश्रय स्थल तक लाए जाने की व्यवस्था की अद्यतन जानकारी एवं गो–आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश के सापेक्ष आवश्यकता एवं उपलब्धता का आंकलन करना।

2.6 बुन्देलखण्ड पैकेज

(1) बुन्देलखण्ड पैकेज अंतर्गत दो मण्डलों यथा चित्रकूटधाम एवं झांसी में क्रमित योजनाओं का स्थलीय सत्यापन किया जाए।

2.7 पंजीकृत गोशालाओं का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन

(1) उ0प्र0 गो–सेवा आयोग से अनुदान प्राप्त पंजीकृत गौशालाओं का सत्यापन किया जाए एवं अन्य पंजीकृत गौशालाओं का भी भ्रमण कर व्यवस्थाए देखी जाए।

2.3 विभागीय योजनाओं की समीक्षा एवं स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण–

(1) प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रमित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत खुरपका–मुँहपका टीकाकरण कार्यक्रम का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन/इनाफ पर अपलोड़िंग की समीक्षा के साथ–साथ पशुपालकों से जानकारी भी प्राप्त करना।

(2) ग्राम भ्रमण के समय एन0ए0आई0पी0–1 में किए गये कृत्रिम गर्भाधान के सापेक्ष उत्पन्न संतति का निरीक्षण/प्रयुक्त किए गये सीमेन स्ट्राज से मिलान तथा इनाफ पर अपलोडिंग की समीक्षा के साथ–साथ पशुपालकों से जानकारी भी प्राप्त करना। इसके साथ ही साथ एन0ए0आई0पी0–2 में किए जा रहे कृत्रिम गर्भाधान का निरीक्षण/सत्यापन/ इनाफ पर अपलोड़िंग की समीक्षा के साथ–साथ पशुपालकों से जानकारी भी प्राप्त करना।

(5) पशुपालकों को स्वीकृत हुए नवीन किसान क्रेडिट कार्ड के संबन्ध में यदि बैंक के स्तर से कोई कठिनाई प्रकाश में आती है तो लीड बैंक प्रबन्धक/मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी के संज्ञान में अवश्य लाया जाय एवं निराकरण हेतु प्रयास किया जाय।

(6) क्षेत्र में संचारी रोग नियंत्रण हेतु किए गये प्रयासों की समीक्षा की जाए तथा आवश्यकतानुसार स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन भी किया जाए।

(7) रूरल बैकयार्ड सूकर योजना की प्रगति की समीक्षा की जाए तथा ग्राम भ्रमण के समय परियोजना/लाभार्थी का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन किया जाए।

(8) पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र वाले जनपद में प्रक्षेत्र का भ्रमण अवश्य रूप से किया जाए। भ्रमण के समय गोवंश व महिषवंश के साथ–साथ बकरी, सूकर, भेड़ के स्वास्थ्य का निरीक्षण, हरा चारा उत्पादन, प्रतिदिन हरे चारे की उपलब्धता, भूसा भण्डारण, संकेंद्रित आहार भण्डारण, मनरेगा अंतर्गत प्रक्षेत्र पर चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।

131

(9) ग्लैण्डर एवं फार्सी सर्विलांन्स कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया जाए।
(10) राश्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जनपद में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए।
(11) जनपद में चल रहे अन्य निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाए।
(12) पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया जाय।
(13) **अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम** अंतर्गत आर0के0वी0वाई0 एवं सामान्य चारा बीज आवंटन अंतर्गत जनपदों को उपलब्ध कराए गये चारा बीज (जई चारा बीज–प्रमाणित) के सापेक्ष आन–फार्म–डेवलपमेन्ट, चारा बीज बुवाई का स्थलीय सत्यापन तथा लाभार्थियों से पशुपोषण के संबन्ध में जानकारी प्राप्त करना।

प्रत्येक नोडल अधिकारी जनपद के भ्रमण के समय माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2020 में नोडल अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रमण में आच्छादित गौ–आश्रय स्थलों से पृथक कम से कम 50 गौ–आश्रय स्थलों का भ्रमण करेगें। जिन जनपदों में संख्या कम हो वहॉ संपूर्ण गौ–आश्रय स्थलों का भ्रमण सुनिश्चित किया जाना है। इस हेतु गो–आश्रय स्थलों का चयन इस प्रकार किया जाय कि समस्त विकास खण्ड आच्छादित हो सकें। नोडल अधिकारी भ्रमण किए गए सभी गौ–आश्रय स्थलों का अभिलेखों सहित विस्तृत परीक्षण भी करेगें।

3– रिपोर्टिंग

(1) नामित नोडल अधिकारी दिनांक 19 नवम्बर, 2020 की अपराह्न 3:00 बजे तक अपने आवंटित जनपद में अवश्य पहुँचेगें तथा मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के सहयोग से गोआश्रय स्थलों एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा, निरीक्षण, सत्यापन एवं रिपोर्टिंग हेतु आगामी 15 दिनों (03 दिसम्बर, 2020 तक) के लिए प्रतिदिन का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित करेगें। दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 को अपने पदस्थापना स्थल पर वापस आयेगें।
(2) उक्त दिन सांय अथवा दूसरे दिन प्रातः मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी से संपर्क कर भ्रमण कार्यक्रम से अवगत कराऐगें।
(3) भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाए जिससे गौ–आश्रय स्थलों के साथ–साथ विभिन्न ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण किया जाए जिससे निर्माण संबंधी एवं लाभार्थीपरक विभागीय योजनाओं का सत्यापन हो सके।
(4) प्रतिदिन के भ्रमण कार्यक्रम उपरान्त प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी एवं जिलाधिकारी को अवगत भी करायेगें।
(3) प्रत्येक स्थलीय भ्रमण, निरीक्षण, समीक्षा एवं सत्यापन आदि का कार्यवृत्त तैयार कराकर निर्गत किया जाए, परन्तु कार्यवृत की प्रति निदेशालय या शासन को भेजने की आवश्यकता नहीं है। कार्यवृत को जनपद स्तर पर अभिलेखित कर के रखा जाए।
(4) कतिपय विभागीय महत्वपूर्ण एवं प्राथमिकता की योजनाओं की प्रगति निर्धारित संलग्न प्रारूप के भाग–1 में भरकर प्रत्येक तीसरे दिन निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय। निदेशालय तथा शासन स्तर से अपेक्षित कार्यवाही हेतु यदि कोई बिन्दु हो तो उसे संलग्न प्रारूप के भाग–2 में भर कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाए।
(4) नोडल अधिकारी संलग्न प्रारूप पर प्रथम रिपोर्ट दिनांक 23 नवम्बर, 2020 को एवं उसके पश्चात् प्रत्येक तीन दिन बाद सूचना तैयार कर विलम्बतः 5 बजे सांय तक jdgoshala.up@gmail.com, dahupplanning@gmail.com पर प्रेषित करेगें।
(5) जनपद प्रवास के समय नोडल अधिकारी के रहने, भ्रमण एवं रिपोर्टिंग आदि हेतु आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा कराई जायेगी।

4– **यह उल्लेख करना विशेष रूप से समीचीन होगा कि नोडल अधिकारी द्वारा स्थानीय प्रशासन/जिला प्रशासन के सहयोग से पाई गई कमियों एवं त्रुटियों का वास्तविक समाधान सुनिश्चित कराएगें तथा जनपद प्रवास के समय जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक आयोजित कराएगें। नोडल अधिकारी द्वारा की गयी समीक्षा एवं भ्रमण के उपरान्त भी यदि उक्त गो–आश्रय स्थलों तथा विभागीय कार्यक्रमों में कमी या त्रुटि प्रकाश में आती है तो जनपद में तैनात अधिकारियों के साथ–साथ नोडल अधिकारी का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सकेगा।**

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

संख्याः /सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त नोडल अधिकारी (संलग्नकानुसार)
2. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय को सादर अवगतार्थ।
7. मुख्य सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
8. गार्ड फाइल।

(डा0 यू0पी0 सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

पत्रांक /सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 दिनांकः नवम्बर, 2020 का संलग्नक

प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु स्थापित गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के संबन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग प्रारूप।

भाग–1

जनपदः रिपोर्ट संख्या– दिनांकः

क्र0स0	रिपोर्टिंग अवधि में किए गए कार्य	प्रगति	क्रमिक प्रगति
1	भ्रमण किए गये स्थलों की संख्या		
2	निराश्रित गोवंश की संख्या जिन्हें भ्रमण के समय संरक्षित किया गया।		
3	गो–आश्रय स्थलों पर पूर्व से बिना टैग वाले पशुओं की टैगिंग (संख्या)		
4	पत्र के प्रस्तर 2.5(2) के अनुसार पराली को खेतों से गो–आश्रय स्थल तक लाया जाना– कुन्तल में		
5	मनरेगा योजनान्तर्गत गौ–आश्रय स्थलो पर प्रारम्भ कराई गई परियोजनाओं की संख्या		
6	मनरेगा अंतर्गत निजी पशुपालकों के यहॉ कैटिल, बकरी, सूकर एवं पॉल्ट्री शेड निर्माण (संख्या)		
7	उक्त हेतु बैंकों में प्रेषित आवेदन (संख्या)		
8	पशुपालकों (संख्या)को स्वीकृत हुए नवीन किसान क्रेडिट कार्ड (संख्या)		
9	पशुपालकों को स्वीकृत किसान क्रेडिट कार्ड के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 में		
10	पोषण मिशन अंतर्गत सुपुर्दगी में दी गयी दुधारू गाय (संख्या)		
11	मुख्य मंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत सुपुर्दगी में दिए गये गोवंश (संख्या)		
12	क्र0स0 10 एवं 11 के सापेक्ष कुल लाभान्वित परिवार/कृषक/पशुपालक		
13	एनिमल हस्बेन्ड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फण्ड अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव (संख्या)– प्रस्ताव विवरण निदेशालय को पृथक से प्रेषित कराया जाय।		
14	क्र0स0–13 के सापेक्ष कुल प्रस्तावित निवेश (रू0 लाख में)		
15	एफ0एम0डी0 टीकाकरण (संख्या)		
16	क्र.स.–15 के सापेक्ष ईनाफ पर अपलोड (संख्या)		
17	एन0ए0आई0पी0–2 अंतर्गत कृ0ग0 (संख्या)		
18	क्र.स.–17 के सापेक्ष ईनाफ पर अपलोड (संख्या)		

नाम एवं पदनाम हस्ताक्षर

15h

पत्रांक /सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 दिनांकः नवम्बर, 2020 का
संलग्नक

प्रदेश में निराश्रित/बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं संबर्धन हेतु स्थापित गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के संबन्ध में नोडल अधिकारी द्वारा रिपोर्टिंग प्रारूप।

भाग–2

निदेशालय अथवा शासन स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई अथवा संज्ञान में लाए जाने योग्य प्रकरणों पर टिप्पणी

136

पत्रांक /सा0–2/नोडल/भ्रमण/2020–21 दिनांकः नवम्बर, 2020 का

संलग्नक

जनपदवार नोडल अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मण्डल	जनपद का नाम	नाम	पदनाम
1	**अलीगढ़**	अलीगढ़	ओमप्रकाश तृतीय	उ0मु0प0चि0अधि0प0वि–आगरा
2		कासगंज	डा0 विपिन कुमार अग्रवाल	उ0मु0प0चि0अधि0प0वि–अलीगढ़
3		एटा	डा0 धीरेन्द्र कुमार	उ0मु0प0चि0अधि0स्वा0–मैनपुरी
4		हाथरस	डा0 सुरेन्द्र कुमार	सं0नि0 पैथो0, आगरा
5	**आगरा**	आगरा	डा0 मनोज कुमार गुप्ता	उ0मु0प0चि0अधि0स्वा0–अलीगढ़
6		मथुरा	डा0 विवेक भारद्वाज	संयुक्त निदेशक–गायनो, झांसी
7		मैनपुरी	डा0 डी0के0 शर्मा	संयुक्त निदेशक, भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा
8		फिरोजाबाद	डा0 एस0के0 मलिक	अपर निदेशक, ग्रेड–2, आगरा
9	**प्रयागराज**	प्रयागराज	डा0 प्रभाकर राय	उप मुख्य प0चि0अ0, मीरजापुर
10		कौशाम्बी	डा0 इन्द्रमणि	अपर निदेशक–प्रयागराज
11		फतेहपुर	डा0 विनोद कुमार सचान	सं0नि0(त0न0)रायबरेली
12		प्रतापगढ़	डा0 आनन्द कुमार सिंह	सं0नि0 प्रशिक्षण केन्द्र, महानगर
13	**आजमगढ़**	आजमगढ़	डा0 संजय श्रीवास्तव	उ0मु0प0चि0अधि0–चि0स्वा0, बलिया
14		मऊ	डा0 सुरेन्द्र सिंह	सं0नि0 पैथो0 आजमगढ़
15		बलिया	डा0 उमेश सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–चि0स्वा0–मऊ
16	**बरेली**	बरेली	डा0 ओमेन्द्र सिंह	सं0नि0(त0न0) बदायूँ
17		बदायूँ	डा0 जीवनदत्त	अपर निदेशक, बरेली
18		शाहजहांपुर	डा0 रमेशपाल सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–चि0स्वा0–पीलीभीत
19		पीलीभीत	डा0 बीधा सिंह	सं0नि0(त0न0) बरेली
20	**बस्ती**	बस्ती	डा0 रविन्द्र नाथ	सं0नि0, गायनो0 बस्ती
21		संतकबीरनगर	डा0 वेदब्रत गंगवार	उ0मु0प0चि0अधि0, सिद्धार्थनगर
22		सिद्धार्थनगर	डा0 नीरज मिश्रा	उ0मु0प0चि0अधि0, सन्तकबीरनगर
23	**अयोध्या**	अयोध्या	डा0 ए0के0 सिंह	अपर निदेशक, फैजाबाद
24		अम्बेडकरनगर	डा0 सुशील कुमार	उ0मु0प0चि0अधि0, बाराबंकी
25		अमेठी	डा0 सैयद सादमान अली	संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र
26		सुल्तानपुर	डा0 केशव कुमार	उ.मु.प.चि.अधि.स्वा0–श्रावस्ती
27		बाराबंकी	डा0 एस0सी0जायसवाल	अपर निदेशक, बी0पी0संस्थान
28	**देवीपाटन**	गोण्डा	डा0 शिव कुमार सिंह	संयुक्त निदेशक(गायनो) अयोध्या
29		बलरामपुर	डा0 मनोज कुमार सिंह	उप निदेशक–पशुपोषण, मुख्यालय
30		बहराईच	डा0 अनिरूद्ध सिंह	अपर निदेशक, देवीपाटन
31		श्रावस्ती	डा0 शिव सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–वाराणसी
32	**गोरखपुर**	गोरखपुर	डा0 परमहन्स राय	उप निदेशक, पैथो, गोंडा
33		महाराजगंज	डा0 टी0पी0 मिश्रा	अपर निदेशक, गोरखपुर
34		देवरिया	डा0 शशी प्रताप सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–चि0स्वा0–आजमगढ़
35		कुशीनगर	डा0 श्री प्रकाश पटेल	उप मुख्य प0चि0अधि0–गोरखपुर
36	**कानपुर**	कानपुर नगर	डा0 एस0बी0 सिंह	अधीक्षक बी0पी0संस्थान
37		कानपुर देहात	डा0 अनिल कुमार	उप निदेशक, डास्प
38		फर्रुखाबाद	डा0 जगरूप सिंह	उ.मु.प.चि.अधि0–उन्नाव
39		इटावा	डा0 एस0पी0 वर्मा	अपर निदेशक, ग्रेड–2 कानपुर

[illegible]

क्र.सं.	मण्डल	जनपद का नाम	नाम	पदनाम
40		कन्नौज	डा0 ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्ता	उ0मु0प0चि0अधि0 कानपुर नगर
41		औरैया	डा0 एस0एस0आर0 पवार	उ0मु0प0चि0अधि0– कानपुर नगर
42	लखनऊ	लखनऊ	डा0 हरदेव सिंह	सं0नि0 रजिस्ट्रार, मुख्यालय
43		उन्नाव	डा0 अरविन्द चन्द्र	उ0मु0प0चि0अधि0, प0वि0 रायबरेली
44		रायबरेली	डा0 नीरज वर्मा	उ0मु0प0चि0अधि0, प0वि0 बाराबंकी
45		हरदोई	डा0 पी0के0 सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–सीतापुर
46		सीतापुर	डा0 एम0पी0 सिंह	अधीक्षक, बी0पी0 संस्थान, लखनऊ
47		लखीमपुर खीरी	डा0 सुधीर सिंह	संयुक्त निदेशक–मंझरा खीरी
48	मेरठ	मेरठ	डा0 अरूण कुमार	उ0मु0प0चि0अधि0प0वि0–गाजीयाबाद
49		बागपत	डा0 राजेश सैनी	अपर निदेशक, मेरठ मण्डल
50		गाजियाबाद	डा0 राजवीर सिंह मलिक	संयुक्त निदेशक, पैथो, बरेली
51		हापुड़	डा0 वीर सिंह	संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, बाबूगढ़
52		जी0बी0नगर	डा0 आर0के0 सिंह	संयुक्त निदशक, मेरठ
53		बुलन्दशहर	डा0 अरविन्द गर्ग	उ0मु0प0चि0अधि0–बागपत
54	मीरजापुर	मीरजापुर	डा0 आई.ए.खान	संयुक्त निदेशक–गाईनो, वाराणसी
55		सोनभद्र	डा0 उदय नाथ सिंह	उ0नि0, गायनो0, प्रयागराज
56		भदोही	डा0 पी0एन0 सिंह	सं0नि0(गायनो) वाराणसी
57	मुरादाबाद	मुरादाबाद	डा0 भूदेव सिंह	संयुक्त निदेशक, थनैला
58		अमरोहा	डा0 सोमदत्त	उ0मु0प0चि0अ0, बुलन्दशहर
59		सम्भल	डा0 निरंकार मलिक	उ0मु0प0चि0अ0, बरेली
60		रामपुर	डा0 राजेश कुमार–तृतीय	उ0मु0प0चि0अधि0, चि0स्वा0, रामपुर
61		बिजनौर	डा0 राजेश कुमार–तृतीय	उ0मु0प0चि0अधि0, चि0स्वा0, रामपुर
62	सहारनपुर	सहारनपुर	डा0 भगवती शरण शर्मा	अपर निदेशक, सहारनपुर
63		शामली	डा0 यशवीर सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0, चि0स्वा0, सहारनपुर
64		मुजफ्फरनगर	डा0 आनन्द कुमार	सं0नि0 बी0पी0एस0, लखनऊ
65	वाराणसी	वाराणसी	डा0 ए0के0 प्रसाद	संयुक्त निदेशक, प्रक्षेत्र, मुख्यालय
66		जौनपुर	डा0 एन0के0 गहलौत	अपर निदेशक, वाराणसी
67		गाजीपुर	डा0 जय सिंह–तृतीय	उप निदेशक, पैथो, मीरजापुर
68		चन्दौली	डा0 अजीत सिंह	संयुक्त निदेशक, गायनो, लखनऊ
69	चित्रकूटधाम	बाँदा	डा0 यशपाल सिंह	उ0मु0प0चि0अधि0–कौशाम्बी
70		महोबा	डा0 प्रेम नरायण शुक्ला	उ0मु0प0चि0अधि0–फतेहपुर
71		चित्रकूट	डा0 सोम प्रकाश तिवारी	उ0मु0प0चि0अधि0, चि0स्वा0, हमीरपुर
72		हमीरपुर	डा0 अनिल कुमार सचान	उ0मु0प0चि0अ0, बांदा
73	झांसी	झांसी	डा0 लखन लाल त्रिपाठी	सं0नि0, डास्प, लखनऊ
74		ललितपुर	डा0 वाई0एस0 तोमर	अपर निदेशक–झांसी
75		जालौन	डा0 वी0के0 सिंह	अधीक्षक, पोल्ट्री फार्म, झांसी